

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के आरक्षण संबंधी स्थिति क्या है;

(ग) क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को विकलांग व्यक्तियों से ही भरा जाना सुनिश्चित करने के लिए कोई निगमनी तंत्र है;

(घ) क्या राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त निगम के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(च) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु तैयार किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिआ):

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों तथा विकलांग व्यक्ति (सामान अवसर, अधिकारों का आरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के उपबंधों के अनुसरण में केवल विकलांग व्यक्ति ही उनके लिए पहचान किए गए तथा आरक्षित पदों पर नियुक्त किए जा सकते हैं।

(ख) केन्द्र सरकार के कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" तथा "घ" पदों में 1100 पदों की पहचान की गई है जिन पर विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है।

(ग) कल्याण मंत्रालय मंत्रालयों/विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या और नियुक्त किए गए विकलांग व्यक्तियों की संख्या को भी दर्शाते हुए समूह ग तथा समूह ख पदों में विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के लिए आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन संबंधी अर्धवार्षिक रिपोर्ट देने पर बल देता रहा है।

(घ) दिनांक 24 जनवरी, 1997 को राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम निगमित किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बसे विकलांग व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्वयन कर रहा है:—

(1) विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों की सहायता,

(2) विशेष स्कूलों की स्थापना के लिए स्वयंसेवी संगठनों की सहायता,

(3) सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों की सहायता,

(4) कुछ रोग युक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता,

(5) जिला पुनर्वास केन्द्र।

सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के प्रतिशत में कमी

1394. श्री ईश दत्त बादवः

श्री नागमणि:

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत कम होता जा रहा है;

(ख) 1 जनवरी, 1997 की स्थिति के अनुसार सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत कितना था; और

(ग) मुसलमानों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियां देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिआ):

(क) से (ग) एक विवरण, विवरण के रूप में सभा पटल पर रख दिया गया है। (नीचे देखिए)

विवरण

आम तौर पर केन्द्र सरकार की सेवाओं में अल्पसंख्यकों की भर्तियों के संबंध में सरकार की नीति पूर्ण रूप से संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होती है। भर्तियों नियमों को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि भर्तियों समान अवसर प्रदान करते हुए योग्यता के आधार पर चयन पर आधारित होती है ताकि जनसंख्या के किसी भी वर्ग के विरुद्ध भेदभाव न हो सके। चूंकि भर्तियां जाति, समुदाय, धर्म आदि के आधार पर नहीं होती हैं, इसलिए धर्मवार भर्तों से संबंधित कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

लोक सेवाओं में भर्तों भारत के संविधान के प्रावधानों के द्वारा नियंत्रित होती है जो राज्य के अंतर्गत किसी कार्यालय में भर्ती अथवा रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर को सुनिश्चित करती है।

राज्य के अधीन किसी रोजगार अथवा कार्यालय के संबंध में केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, आवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक अपात्र नहीं होगा अथवा उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए भर्ती के मामले में सभी समुदायों को समान अवसर प्राप्त हैं। संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न समुदायों अथवा धर्मों से संबंधित जनसंख्या के समानुपात के आधार पर लोक सेवाओं में नियुक्तियां नहीं होती हैं।

संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य के अंतर्गत रोजगार से जुड़े मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने की व्यवस्था है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत मुस्लिमों सहित अल्पसंख्यकों की भर्ती में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय परिकल्पित हैं। इस संबंध में आरम्भ किए गए कुछ मुख्य अनुवर्ती उपाय निम्नलिखित हैं:—

- (1) समूह "ग"/"घ"-पदों पर भर्ती करने के लिए चयन समितियों/बोर्डों में अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य को नामित करना,
- (2) अल्पसंख्यकों के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना,
- (3) सरकारी क्षेत्र की रिक्तियों के बारे में उर्दू के समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करना,
- (4) भर्ती में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रवेश की मानिट्रिंग करना,
- (5) केन्द्रीय पुलिस बल में भर्ती के लिए अल्पसंख्यक क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाना,
- (6) अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में कतिपय मुस्लिम समुदायों को शामिल करना जिनके लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है।

Scheme of Assistance to disabled persons for purchase/fitting of AIDS and appliances

1395. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are implementing any Central scheme of

assistance to disabled for purchasing fitting of aids and appliances;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the scheme has also been extended to Gujarat;

(d) if so, the details for the last three years, year-wise and the total number of disabled benefited therefrom in the State during the said period; and

(e) other measures being undertaken by Government for the welfare of disabled people in Gujarat?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) Yes Sir

(b) The main objective of the Scheme of Assistance to Disabled persons for purchase/fitting of AIDS and appliances is to assist needy physically handicapped persons in procuring durable sophisticated and scientifically manufactured modern standard AIDS & appliances that can promote their physical social and psychological in rehabilitation and integration in the mainstream, as per the financial norms laid down in the scheme.

(c) Yes, Sir.

(d) Grant-released during the year:

(Rs. in lakhs)		
1994-95	1995-96	1996-97
56.94	48.65	15.46

No. of disabled beneficiaries during:

1994-95	1995-96	1996-97
4912	2666	1550

(e) Central Govt. is also implementing following schemes for providing assistance to NGOs for the welfare of the disabled through out the country including state of Gujarat:—

(1) Scheme of Assistance to Voluntary Organisations for rehabilitation